313

संख्या : 55 /IV(2)–श0वि0–2014–120(सा0)09 T.C.-II

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 24 जनवरी, 2014

विषयः राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1896/IV(2)–श0वि0–10–120(सा0)/09 दिनांक 15.11.2010 एवं संख्याः 1114/IV(2)–श0वि0–12–120(सा0)/09टी0सी0, दिनांक 03.10.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से शहरों को मलिन बस्ती मुक्त बनाये जाने के क्रम में भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत (Preparatory Phase I) में राज्य हेतु संस्तुत ₹229.25 लाख के सापेक्ष क्रमशः ₹45.48 लाख एवं ₹69.15 लाख, इस प्रकार कुल ₹114.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः 482/सूडा/रा0आ0यो0/लेखा–/2013–14, दिनांक 21.01.2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के **Release Order**, दिनांक 31.12.2013 द्वारा राजीव आवास योजना के **Preparatory Phase-I** हेतु अवशेष ₹116.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवमुक्त **₹116.00 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. दिनांक 18–3–2010 को हुई सीएसएमसी की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उक्त प्रयोजन पर ही व्यय की जायेगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2/–

6. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या 13** के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–08–राजीव आवास योजना के मानक मद '20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–413/XXVII(2)/2013, दिनांक 10 जून, 2013 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई डी–S..1401130172... के अधीन निर्गत किये जा रहा है।

भवदीय,

/

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

<u>सं0–55 (1)/IV(2)-श0वि0–2014,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
अनु सचिव